

FORM NO.111

फर्द अहकाम





(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

मुरली वगैरे बनाम रामेश्वर वगैरे

इजराय मुकदमा- इजराय

मुकदमा नम्बर- 46/2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुये
07.12.2022	<p>वकील डिक्कीदार श्री दिपक बाजिया एड0 ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावे। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.11.2022 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थागन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 09.01.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर </p>	
29.04.2024	<p>पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वकील डिक्कीदार उपस्थित। प्रकरण में जारी निर्णय व डिक्की की पालना तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये नामान्तकरण संख्या 2089 दिनांक 29.05.2023 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p> <p>अतः इजराय पत्रावली को इसी स्तर पर खारिज की जाकर फौसल की जाती है। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">  (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) </p>	<p>ऑनलाइन अहकाम क्रिमा गमा) अदेश की पालना ना.सं. 2089 दि. 29.5.23 क्रिमा गमा)   912</p>